

परीष
दफ्त

पत्र वा कार्यवाही नव इतिविषयतः जज

23/3/2022

पत्राली पत्र पत्र . P.O. तादव अन्य
कार्य न वारत है। पत्राली अर्थात्
दिनांक 23/3/22 को पेश हो।

31/3/22

कुं प्री उप। पैरोडार सखार हारा जवाब प्रापना पत्र
पुत्रि में पेश हो गमा है। जिसकी प्रति अभ्यपक्षरान को
अपलब्ध करि गरी पत्रवली वास्ते बहस निमत है। कडील
प्रापी ने जैराने बहस प्रापना पत्र में अडित कपन डेस्तोते
दुर प्रापना पत्र 09R सपणित धारा 151 cc स्वीडारडिर
जाने डा निवेदन डिमा। कडील अप्रापी ने प्रापना पत्र में
अडित कपना को नकरते दुर प्रस्तुत जवाब पत्र अनुसार कपन
करते दुर प्रापना पत्र आरिज डिमा जाने डा प्रनौर अडित
डिमा। पैरोडार सखार ने यजदित उभाषित नहीं होने डा
कपन करते दुर प्रापी पर प्रापना पत्र सिह डसे डा भार
होना कलामा। बहस अभ्यपक्षरान खुनी गरी पत्रवली पर
अपलब्ध प्रस्तोते जात ब बहस अभ्यपक्षरान डा गहनता से स
अनन करने पर मूल प्रकरण डा गुणागुण के आधार पर
निगमि डिमा जाना न्याय संगत प्रतीत होना पामा जाता है।
ऐसी स्थिति में प्रापी हमा प्रस्तुत प्रापना पत्र आडितोष योग्य
होने से स्वीडारडिरा जाता है। पत्रवली कुंमल शुमार है।
नंबर से कम होकर मूल प्रकरण के माप सेलय लेटर
अप्रापनी पेडी दिनांक को मूल प्रकरण पुना नंबर
पर लिमा जाकर पेडा है।

निगमि सरे इन्लास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किनाच (अजमेर) राज

